



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FY 198212

प्रारूप-अ

हम प्रेम शंकर अग्रवाल एवं वरुण सिंह कमरा: अध्यक्ष एवं प्रबन्धक धीरहरा विकास संस्थान ऐरा हाउस ग्राम खमरिया पंडित ऐरा स्टेट जिला लखीमपुर-खीरी शपथपूर्वक बयान करते हैं ।

1-यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा चौधरी बेचेलाल कॉलेज ऑफ फार्मसी ग्रा0 व पो0 रसूलपुर धीरहरा लखीमपुर-खीरी नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2-यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम ग्रा0 व पो0 रसूलपुर तह0 धीरहरा में गाटा सं0 227/1 एवं 02 एकड़ रकबा कमरा: 2.510 हे0 भूमि है।

3-यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का वाद किसी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि वाद रहित है।

4-यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं0 227/1 एवं 02 एकड़ रकबा कमरा: 2.510 हे0 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने की प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 20-11-2021 द्वारा पारित किया गया है।

5-यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6-यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

Mool Chand Mishra
NOTARY PUBLIC
Ten, Chauharis
Uttar Pradesh
30/01/23

Manager
Chaudhary Bechhal College of Pharmacy
Rasulpur Dhaurahra, Lakhimpur-Kheri

7-यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8-यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9-यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10-यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11-यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12-यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/अदेशों का भली-भाँति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13-मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

80 प्रबन्धक
Manager

Chaudhary Bachchan College of Pharmacy
Rasulpur Dhaunimara, Luckhimpur-Khet

Mool Chand Mishra
NOTARY PUBLIC
Rasulpur Dhaunimara, Luckhimpur-Khet
Uttar Pradesh (India)
30/8/23

Certified that Sri. [Signature]
who is identified by me [Signature]
on 30/8/23 was stated
that the contents of the affidavit
are true and correct and nothing to false
to the best of his knowledge and belief.

I Know & Identify...
who has Sign./L.T.I before me.
[Signature]

80 अध्यक्ष
80 अध्यक्ष